

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
बल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : F 4-1/2014/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर, 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय - राज्य शासन के शासकीय सेवकों के मंहगाई भत्ते में 7% की वृद्धि ।

—•—

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-1/2014/नियम/चार, दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2014 से वेतन बैण्ड में वेतन+ग्रेड पे के योग पर 100% की दर से मंहगाई भत्ता देय था ।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के कर्मचारियों को वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग पर निम्नांकित तिथि एवं दर से मंहगाई भत्ता दिया जाये :-

<u>अवधि जब से देय</u>	<u>मंहगाई भत्ते का प्रतिशत</u>
दिनांक 01-7-2014 से (माह जुलाई, 2014 का वेतन जो माह अगस्त, 2014 में देय होगा)	107%

3/ इस निर्णय के फलस्वरूप बढ़े हुये मंहगाई भत्ते की राशि का भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा :-

- (अ) ऐसे शासकीय सेवक जो कि सामान्य भविष्य निधि अथवा विभागीय भविष्य निधि के अभिदाता हैं, की जुलाई 2014 से सितम्बर 2014 तक की अवधि की देय राशि संबंधित शासकीय सेवक के सामान्य भविष्य निधि/विभागीय भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी तथा माह अक्टूबर, 2014 (नवम्बर, 2014 में देय) से मंहगाई भत्ते का नगद भुगतान किया जायेगा ।
- (ब) ऐसे शासकीय सेवक जो कि सामान्य भविष्य निधि/विभागीय भविष्य निधि के अभिदाता नहीं हैं, को देय राशि नगद भुगतान की जायेगी ।

4/ मंहगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।




/2/

5/ मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जायेगा ।

6/ ये आदेश यू.जी.सी. एवं ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर लागू होंगे।

7/ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अन्तर्गत देय मंहगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



, 11/10/14
(मनीष रस्तोगी)

सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

/4/

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 4-1/2014/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर, 2014

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

9
(अजय चौबे)
उप सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग